मध्य प्रदेश वक़्फ बोर्ड

ताज केम्पस ताजुल मसाजिद के पास, भोपाल – 462001

Phone & Fax: 2543175, 4256067, E-mail : mp_mpwaqfboard@rediffmail.com

क्रमांक– / 07 / भोपाल दिनांक ....

प्रति,

समस्त मुतवल्ली / अध्यक्ष इन्तेजामिया कमेटी

....

....

विषय : वक्फ सम्पत्तियों की आय मे वृद्धि किये जाने बाबत।

संदर्भ : वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 25(ग) एवं धारा 56.

प्राय: यह देखने मे आया है कि वक्फ सम्पत्तियों की निगरानी कर रहे मुतवल्ली अथवा समिति द्वारा वक्फ सम्पत्तियों को अपने स्तर पर पट्टे अथवा किराये पर दे दिया जाता है। जबकि किसी भी सम्पत्ति को यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये किराये / पट्टे पर दिया जाता है तो उसके लिये बोर्ड से अनुज्ञा आवश्यक होती है।

2. आपके अधीन व्यवसायिक उपयोग मे लाई जा रही वक्फ सम्पत्ति का किराया निर्धारण उस क्षेत्र मे प्रचालित बाजार मूल्य के सुसंगत होना चाहिये। वर्तमान किराये को चरणबद्ध तरीका अपनाते हुए मार्केट रेट के समक्ष लाया जाना चाहिए।

3. किराया अनुबंध 11 माह से अधिक न किया जाए। एक वर्ष से अधिक की अवधि के अनुबंध हेतु प्रकरण बोर्ड मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

किसी भी वक्फ सम्पत्ति से यह आशय कदापि नही लगा लेना चाहिये कि उक्त सम्पत्ति नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर सुलभता से उपलब्ध हो जाती है।

(डा. एस. एम. एच. ज़ैदी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल।